अति आवश्यक
समय–सीमा

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक–3/प.क./सेल–1/2017/ 256 **भोपाल, दिनांक 14-03-2017**

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः–महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.), एम.पी.डब्ल्यू. (पुरूष), बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरूष) एवं बहुउद्देशीय महिला पर्यवेक्षक (एल.एच.व्ही.) के पदों का युक्तियुक्तकरण करने के संबंध में।

//00//

विषयान्तर्गत लेख है कि शासन द्वारा स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) की जिलेवार जानकारी के आंकलन पर यह ज्ञात हुआ है कि प्रदेश के सभी जिलों (अलीराजपुर को छोड़कर) में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की तुलना में ए.एन.एम. स्वीकृत संख्या से अधिक हैं, परन्तु कतिपय जिलों के कुछ उप स्वास्थ्य केन्द्र ए.एन.एम. विहीन हैं, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित होती हैं।

अतः आपके अधीनस्थ समस्त मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करें कि वे उनके विकासखण्ड में पदस्थ ए.एन.एम. की समीक्षा कर उनका युक्तियुक्तकरण कर एस.डी.एम.से अनुमोदन कर निम्नानुसार कार्यवाही एक सप्ताह में संपादित कर आपको सूचित करें:–

1 प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम एक ए.एन.एम. की पदस्थापना अनिवार्य रूप से की जावें।

2 भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कार्य क्षेत्र का समान निर्धारण किया जायें।

3 किसी भी ए.एन.एम. का अन्यत्र स्थान पर संलग्नीकरण ना किया जायें।

इसके उपरांत शेष ए.एन.एम. को शासन की स्वीकृति के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल या जिला चिकित्सालय आदि में पदस्थ किया जायें। यदि शासन स्वीकृति ना हो तो उन्हें ऐसी संस्था में पदस्थ ना किया जावे अन्यथा इनके वेतन भत्ते पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति आपसे की जावेगी।

निरंतर..........2

यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी स्थिति में ए.एन.एम. का अन्य पद के विरूद्व वेतन आहरण न किया जाये तथा आपके जिले का कोई भी उप स्वास्थ्य केन्द्र ए.एन. एम. विहीन ना हो। इसी प्रकार एम.पी.डब्ल्यू. (पुरूष), बहुउद्‌देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरूष) एवं बहुउद्‌देशीय महिला पर्यवेक्षक (एल.एच.व्ही.) की पदस्थापना स्वीकृति अनुसार करते हुये युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही का समेकित प्रतिवेदन जिला कलेक्टर से अनुमोदन कराकर 10 दिवस के अंदर संचालनालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें अन्यथा विलम्ब के लिये आप उत्तरदायी होंगे।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0 कमांक–3/प.क./सेल–1/2017/ 257 **भोपाल, दिनांक** 14-03-2017

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश की ओर निर्देशित किया जाता है कि आप अधीनस्थ जिलों द्वारा की जा रही ए.एन.एम. के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही को 15 दिवस के अंदर पूर्ण कराकर संचालनालय को अवगत करावें।
6. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश